



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 229 | नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 25, 2011/अग्रहायण 4, 1933
No. 229 | NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 25, 2011/AGRAHAYANA 4, 1933

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2011

सं. एल-1/44/2010-सी.ई.आर.सी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सार्वजनिक सभों में अन्य शक्तियों तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभागों तथा हानियों की हिस्सेदारी) विनियम, 2010, (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है), का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

(1) संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ: (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभागों तथा हानियों की हिस्सेदारी) (पहला संशोधन) विनियम, 2011 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. मूल विनियम के विनियम 2 का संशोधन : (1) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के उपखंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :

“(ग) 'अनुमोदित अंतःक्षेपण' से उत्पादक या आईएसटीएस में पदाभिहित आईएमटीएम ग्राहक के किसी अन्य अंतःक्षेपण स्थान के मास, व्यस्ततम या एक्स बस पर व्यस्ततम परिप्रेक्ष्य से भिन्न के प्रत्येक द्योतक ब्लाक के लिए पदाभिहित आईएसटीएस ग्राहक हेतु कार्यन्वयन अभिकरण (आईए) द्वारा वैधीकृत एमडब्ल्यू में अंतःक्षेपण अभिप्रेत है, तथा जिसका अवधारण दीर्घ-कालिक पहुंच तथा मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच पर विचार करते हुए, ग्रिड में कुल अंतःक्षेपण सम्मिलित करते हुए, पदाभिहित आईएसटीएस ग्राहकों द्वारा प्रस्तुत उत्पादन आंकड़ों के आधार पर किया जाता है”

(2) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के उपखंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा:

"(च) "अनुमोदित निकासी " से आईएसटीएस के सभी नोडों से कुल नियंत्रण क्षेत्र में किसी भी पदाभिहित आईएसटीएस ग्राहक के लिए कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा वैधीकृत मेगावाट में समकालिक ऐसी निकासी अभिप्रेत है, जो पदाभिहित आईएसटीएस ग्राहक के आईएसटीएस के साथ इंटरफेस स्थान पर मास, तथा व्यस्ततम परिप्रेक्ष्य से भिन्न प्रत्येक द्योतक ब्लाक से जुड़ा हो तथा जहां अनुमोदित निकासी का अवधारण दीर्घ-कालिक पहुंच तथा मध्यकालिक निर्बाध पहुंच पर विचार करते हुए पदाभिहित, आईएसटीएस ग्राहकों द्वारा प्रस्तुत मांग आकड़ों के आधार पर किया जाएगा।

(3) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के उपखंड (ड) के अंत में निम्नलिखित परतुंक अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

" परंतु यह कि जहां आईएसटीएस प्रभारों की बिलिंग वितरण कंपनियों या इन विनियमों के कार्यान्वयन से पूर्व राज्य में ऊर्जा क्रय करने वाले किसी भी पदाभिहित अभिकरण को की जा रही हो वहां, यथास्थिति, वितरण कंपनियां या पदाभिहित अभिकरण को, उस राज्य में आरपीसी द्वारा प्रादेशिक पारेषण लेखा (आरटीए) को तैयार करने के प्रयोजन के लिए तथा सीटीयू द्वारा बिलिंग तथा संग्रहण करने के प्रयोजन के लिए पदाभिहित आईएसटीएस ग्राहक समझा जाएगा:

परंतु यह और कि इन विनियमों के कार्यान्वयन के पश्चात, राज्य उपरोक्त प्रयोजन के लिए किसी भी अभिकरण को पदाभिहित आईएसटीएस ग्राहक के रूप में पदाभिहित कर सकेगा "

(4) मूल विनियम के विनियम (2) के उपखंड (न) के पश्चात, "लक्ष्य क्षेत्र " की परिभाषा अंतःस्थापित की जाएगी अर्थात्:-

"(ना) 'लक्ष्य क्षेत्र' से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके लिए उत्पादक सीटीयू से दीर्घकालिक पहुंच अभिप्राप्त करने के पश्चात ऊर्जा का विक्रय करने का प्रस्ताव करता है और जिसके लिए उक्त क्षेत्र में फायदाग्राहियों की पहचान की गई हो। "

(5) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के उपखंड (भ) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

"(भ) " वार्षिक पारेषण प्रभार (वाईटीसी)" से अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा समझे गए आईएसटीएस अनुज्ञप्तिधारियों, जिसमें ऊर्जा का वहन करने के लिए प्रादेशिक ऊर्जा समिति द्वारा प्रमाणित

गैर-आईएसटीएस लाइनें भी हैं, के विद्यमान तथा नई पारेषण आस्तियों के लिए ऐसे वार्षिक पारेषण प्रभार अभिप्रेत हैं, जिनका अवधारण विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अधीन समुचित आयोग द्वारा किया जाता है या जिनको विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन समुचित आयोग द्वारा स्वीकार किया जाता है या जो अन्यथा इन विनियमों में उपबंधित हो।"

3. मूल विनियम के विनियम 3 का संशोधन: मूल विनियम के विनियम 3 के खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ख) आईएसटीएस से जुड़े राज्य विद्युत बोर्ड/राज्य पारेषण उपयोगिता या राज्य में पदाभिहित अभिकरण (एमईवी/एसटीयू/अंतरा-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के स्वामित्वाधीन पारेषण प्रणाली से जुड़ी वितरण कंपनियों, उत्पादकों तथा अन्य थोक ग्राहकों की ओर से);

(4) मूल विनियम के विनियम 7 का संशोधन: (1) मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (1) के उपखंड (ठ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:

"(ठ) नोडों के बीच विभाजित किए जाने वाले संपूर्ण प्रभारों की संगणना, आईएसटीएस अनुज्ञप्तिधारियों की प्रत्येक लाइनों के लिए विभाजित वार्षिक पारेषण प्रभारों के आधार पर की जाएगी। संबंधित आईएसटीएस पारेषण अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक वोल्टता स्तर की आस्तियों तथा कंडक्टर संरूपण के लिए संगणित वार्षिक पारेषण प्रभारों को उपलब्ध कराएंगे। आईएसटीएस अनुज्ञप्तिधारी, समझे गए आईएसटीएस अनुज्ञप्तिधारी तथा प्रादेशिक ऊर्जा समितियों द्वारा प्रमाणित गैर-आईएसटीएस लाइनों के स्वामी अपनी उन पारेषण आस्तियों के कुल वार्षिक पारेषण प्रभारों को देंगे, जिनके प्रभारों की वसूली प्रत्येक वोल्टता स्तर पर सर्किट किलोमीटर के साथ तथा प्रत्येक कंडक्टर संरूपण के लिए लागू अवधि में पीओसी तंत्र के माध्यम से की जाएगी। कुल वार्षिक पारेषण प्रभारों का विभाजन प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ पर सीटीयू द्वारा प्रस्तुत संकेतिक लागत स्तरों के अनुपात पर या लागू अवधि तथा आयोग द्वारा अनुमोदित आधार पर प्रत्येक वोल्टता स्तर तथा कंडक्टर के लिए किया जाएगा:

परंतु यह कि वार्षिक पारेषण प्रभारों का पुनरीक्षण छह मासिक आधार, अर्थात् 1 अक्तूबर तथा पश्चातवर्ती तिमाही आधार पर, अर्थात् 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्तूबर तथा 1 दिसंबर को किया जाएगा।

(2) मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (1) के उपखंड (ड) का लोप किया जाएगा।

(3) मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (1) के उपखंड (ण) के अधीन निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित औसत उत्पादन तथा मांग आंकड़ों के आधार पर एकल परिप्रेक्ष्य पर 2011-12 या ऐसी अन्य अवधि के लिए पीओसी भारों का अवधारण करने के लिए विचार किया जाएगा जो आयोग डीआईसी से विभिन्न परिप्रेक्ष्यों के लिए नोड-वाइस पूर्वानुमान आंकड़े की उपलब्धता के आधार पर विनिश्चित करें।"

5. मूल विनियम के विनियम 11 का संशोधन: (1) मूल विनियम के विनियम 11 के खंड (4) में संगणना फार्मूला के नीचे के पैरा के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

"बिल के इस प्रथम भाग को संयोजन प्रभारों के स्थान के आधार पर, प्रत्येक पदाभिहित आईएसटीएस ग्राहक के लिए अनुमोदित निकासी तथा अनुमोदित अंतःक्षेपण, संबंधित प्रादेशिक ऊर्जा समितियों द्वारा पूर्व मास के लिए प्रत्येक मास में पर प्रादेशिक पारेषण लेखाओं को अपनी वेबसाइटों डालने अपलोडिंग के अगले कार्य दिवस पर कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा प्रदान किए गए आधार पर भेजा जाएगा:

परंतु यह कि अनुमोदित उन पारेषण प्रभारों, जिनके लिए बिलिंग की गई है, के साथ पारेषण आस्तियों की सूची बिल के प्रथम भाग के साथ संलग्न की जाएगी:

परंतु यह भी कि फायदाग्राहियों को पहचाने बिना, लक्ष्य क्षेत्र को दीर्घ-कालिक पहुंच की मात्रा के प्रभारों में लक्ष्य क्षेत्र में सभी डीआईसी के बीच अंतःक्षेपण पीओसी प्रभारों तथा पीओसी प्रभारों की न्यूनतम मांग सम्मिलित होगी।

(2) मूल विनियम के विनियम 11 के खंड (5) के नीचे संगणना सूत्र के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

"बिल के दूसरे भाग को बिल के प्रथम भाग के साथ पदाभिहित आईएसटीएस ग्राहकों को भेजा जाएगा:

परंतु यह कि समक्रमिक संयोजित ग्रिड में अतिरिक्त मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच ग्राहकों से संगृहीत राजस्व, जिस पर अनुमोदित अंतःक्षेपण/अनुमोदित निकासी के समय विचार किया नहीं किया गया, की प्रतिपूर्ति, संबंधित मास की मासिक बिलिंग के अनुपात में, आगामी मास में दीर्घ-कालिक निर्बाध पहुंच को ध्यान में रखते हुए, उसी समक्रमिक संयोजित ग्रिड में अवस्थित डीआईसी को की जाएगी:

परंतु यह और कि उस लक्ष्य क्षेत्र, जिसके लिए उत्पादक को दीर्घ-कालिक पहुंच अनुदत्त की गई हो, को मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच के लिए अंतःक्षेपण पीओसी प्रभारों तथा मांग पीओसी प्रभारों का समायोजन पहचाने गए फायदाग्राहियों के बिना लक्ष्य क्षेत्र को दीर्घ-कालिक पहुंच के लिए अंतःक्षेपण पीओसी प्रभारों तथा

मांग पीओसी प्रभारों के प्रति किया जाएगा तथा पहचाने गए फायदाग्राहियों के बिना किसी अन्य लक्ष्य क्षेत्र के लिए अनुदत्त दीर्घ-कालिक पहुंच के प्रति समायोजन नहीं किया जाएगा:

परंतु यह भी कि किसी क्षेत्र में उत्पादक को दिए गए दीर्घ-कालिक निर्बाध पहुंच के लिए अंतःक्षेपण पीओसी प्रभार की क्षतिपूर्ति लक्ष्य क्षेत्र के उत्पादक को अनुदत्त दीर्घ-कालिक पहुंच के लिए अंतःक्षेपण पीओसी प्रभार के प्रति की जाएगी:

परंतु यह भी कि ऐसा उत्पादक, जिसे पहचाने गए फायदाग्राहियों के बिना लक्ष्य क्षेत्र के लिए दीर्घ-कालिक पहुंच अनुदत्त की गई हो, से विनियम 11 के खंड (4) के अंतिम परंतुक के अधीन रहते हुए, मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच की मात्रा की क्षतिपूर्ति करने के पश्चात शेष मात्रा के लिए लक्ष्य क्षेत्र में सभी डीआईसी के बीच पीओसी अंतःक्षेपण प्रभार मास न्यूनतम पीओसी मांग प्रभार का संदाय करने की अपेक्षा की जाएगी:

परंतु यह भी कि यह समायोजन उन व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा किए जाने वाले सामूहिक संव्यवहारों तथा द्विपक्षीय संव्यवहारों के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जिनके पास उस राज्य में उत्पादकों का पोर्टफोलियो हो जिसके लिए लक्ष्य क्षेत्र हेतु दीर्घ-कालिक पहुंच अभिप्राप्त कर ली हो। "

(3) मूल विनियम के विनियम 11 के खंड (7) के नीचे अंतिम पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

"इस बिल को आरपीसी द्वारा प्रादेशिक पारेषण विचलन के जारी किए जाने के 3 (तीन) कार्य दिवस के भीतर सीटीयू द्वारा जारी किया जाएगा:

परंतु यह कि अनसूचित विनियम ऊर्जा के लेखा संबंधी विचलन की सूचना के लिए उत्तरदायी राज्य का अभिकरण अपने प्रादेशिक पारेषण विचलन लेखा (आरटीडीए) में उसे सम्मिलित करने के लिए संबंधित आरपीसी के लिए पारेषण उपयोग के विचलन की सूचना देने के लिए उत्तरदायी अभिकरण होगा:

परंतु यह और कि समक्रमिक संयोजित ग्रिड में डीआईसी से विचलन के लिए बिल के लिए संगृहीत राजस्व की प्रतिपूर्ति उसी समक्रमिक संयोजित ग्रिड में, दीर्घ-कालिक पहुंच को ध्यान में रखते हुए, संबंधित मास के मासिक बिलिंग के अनुपात में आगामी मास में की जाएगी।

(4) मूल विनियम के विनियम 11 के खंड (8) का लोप किया जाएगा।

(5) मूल विनियम के विनियम 11 के खंड (9) के अंतः में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:

"परंतु यह कि उस लक्ष्य क्षेत्र, जिसके लिए उत्पादक को दीर्घ-कालिक पहुंच अनुदत्त की गई है, के लिए अल्पकालिक निर्बाध पहुंच हेतु अंतःक्षेपण पीओसी प्रभारों तथा मांग पीओसी प्रभारों का समायोजन पहचाने

गए फायदाग्राहियों के बिना लक्ष्य क्षेत्र हेतु दीर्घ-कालिक पहुंच के लिए अंतःक्षेपण पीओसी प्रभारों तथा मांग पीओसी प्रभारों के प्रति किया जाएगा तथा उनका समायोजन फायदाग्राहियों के बिना किसी अन्य क्षेत्र के लिए दीर्घ-कालिक पहुंच के प्रति नहीं किया जाएगा:

परंतु यह और कि किसी भी क्षेत्र के लिए उत्पादक को दिए गए अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच के लिए अंतःक्षेपण पीओसी प्रभार की क्षतिपूर्ति लक्ष्य क्षेत्र के लिए उत्पादक को अनुदत्त दीर्घ-कालिक पहुंच के लिए अंतःक्षेपण पीओसी प्रभार के प्रति की जाएगी:

परंतु यह भी कि उस उत्पादक, जिसे पहचाने गए फायदाग्राहियों के बिना लक्ष्य क्षेत्र के लिए निर्बाध पहुंच अनुदत्त की गई हो, से मध्य कालिक निर्बाध पहुंच तथा अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच की मात्रा की क्षतिपूर्ति करने के लिए पश्चात शेष मात्रा के लिए लक्ष्य क्षेत्र में सभी पदाभिहित आईएसटीएस ग्राहकों में से, पीओसी अंतःक्षेपण प्रभार प्लस न्यूनतम पीओसी मांग प्रभार का संदाय करने की अपेक्षा की जाएगी:

परंतु यह भी कि इस समायोजन को उन व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा किए गए सामूहिक संव्यवहार तथा द्विपक्षीय संव्यवहारों के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जिनके पास उस राज्य में उत्पादकों का पोर्टफोलियो है जिसके लिए लक्ष्य क्षेत्र हेतु दीर्घ-कालिक पहुंच अभिप्राप्त की गई थी।"

6. मूल विनियम के उपाबंध का संशोधन:

(1) मूल विनियम के उपाबंध के अंतिम उप पैरा "नेटवर्क आंकड़ा" शीर्षक के अधीन पैरा 2.1.2 (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

(छ) "नोडों के बीच आबंटित किए जाने वाले संपूर्ण प्रभारों की संगणना आईएसटीएस अनुज्ञप्तिधारियों, समझे गए आईएसटीएस अनुज्ञप्तिधारियों तथा उन गैर-आईएसटीएस लाइनों, जिन्हें अंतर-राज्यिक ऊर्जा प्रवाहित करने के लिए संबंधित प्रादेशिक ऊर्जा समिति द्वारा प्रमाणित किया गया है, की पारेषण आस्तियों के वार्षिक पारेषण प्रभारों को स्वीकार करके की जाएगी। इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक वोल्टता स्तर तथा कंडक्टर संरूपण पर आस्तियों के लिए संगणित वार्षिक पारेषण प्रभार की गणना विभिन्न वोल्टता स्तरों और कंडक्टर संरूपण के लिए केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा प्रदान किए गए निर्देशक लागत स्तर पर आधारित प्रत्येक आईएसटीएस पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लिए की जाएगी। उन आरपीसी प्रमाणित गैर-आईएसटीएस लाइनों, जो अंतर-राज्यिक ऊर्जा का प्रवहरण करती हैं, के लिए वार्षिक पारेषण प्रभार का अनुमोदन समुचित आयोग द्वारा किया जाएगा।

यदि आरपीसी प्रमाणित गैर-आईएसटीएस लाइनों के लिए टैरिफ को समुचित आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, तो सुसंगत वोल्टता स्तर तथा कंडक्टर संरूपण के लिए यथा-संगणित औसत वाईटीसी का उपयोग किया जाएगा।

15.6.2010 को आरपीसी द्वारा प्रमाणित गैर-आईएसटीएस लाइनों को निरंतर अंतर-राज्यिक ऊर्जा का प्रवहन करने के लिए आरपीसी प्रमाणित गैर-आईएसटीएस लाइन समझा जाएगा। ऐसी आरपीसी प्रमाणित गैर-आईएसटीएस लाइनों के वार्षिक पारेषण प्रभार वैसे ही रहेंगे तथा उसी सिद्धांत द्वारा शासित होंगे जैसे वे 15.6.2010 को थे।

अंतर-राज्यिक ऊर्जा का प्रवहन करने के लिए उन गैर-आईएसटीएस लाइनों को प्रमाणित करने के लिए, जिन्हें मूल विनियम की अधिसूचना की तारीख को आरपीसी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था, भार प्रवाह अध्ययनों की प्रक्रिया के माध्यम से अवधारित किया जाएगा। वार्षिक औसत आधार पर भार प्रवाह अध्ययनों के परिणामों में अंतर-राज्यिक ऊर्जा, उनके द्वारा अंतर-राज्यिक ऊर्जा का वहन किए जाने वाली ऊर्जा के 50% से अधिक का प्रवहन करने वाली लाइनों को दर्शित किया जाना चाहिए। इसकी संवीक्षा एनएलडीसी द्वारा स्वीकार की जाने वाली सामान्य पद्धति के माध्यम से संबंधित आरपीसी द्वारा किए गए प्रस्ताव पर संबंधित आरएलडीसी के परामर्श से की जाएगी। ऐसी आरपीसी प्रमाणित गैर-आईएसटीएस लाइनों, जो अंतर-राज्यिक ऊर्जा का प्रवहन करती हैं, के लिए वार्षिक पारेषण प्रभारों का अनुमोदन समुचित आयोग द्वारा किया जाएगा।

आवेदन अवधि में प्रारंभ होने वाली पारेषण आस्तियों के वार्षिक पारेषण प्रभारों की वसूली का समावेशन कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा अनुमोदित टैरिफ, जिसमें अंतिम रूप से अनुमोदित टैरिफ भी है, के आधार पर किया जाएगा:

परंतु यह कि आरपीसी प्रमाणित गैर-आईएसटीएस लाइनों के स्वामियों को संवितरण समुचित आयोग द्वारा टैरिफ अनुमोदित किए जाने के पश्चात् किया जाएगा।"

2. मूल विनियम के उपाबंध के पैरा 2.7 के खंड (2) के स्टेप 4 में पहले पैरा के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"चंदरपुर तथा गजुवाका पर एचवीडीसी बैक-टू-बैक अंतर-प्रादेशिक लिकों के प्रभारों को 1:1 के अनुपात में नए ग्रिड तथा दक्षिण क्षेत्र ग्रिड के वार्षिक पारेषण प्रभारों में सम्मिलित किया जाएगा तथा तलचर कोलार एचवीडीसी बाईपोल लिक के लिए प्रभारों का विभाजन केवल दक्षिण क्षेत्र के पदाभिहित आईएसटीएस ग्राहकों में किया जाएगा।"

राजीव बंसल, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/11-असा.]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, सं. 162 असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 16 जून, 2010 को प्रकाशित किए गए थे।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th November, 2011

No. L-1/44/2010-CERC.—In exercise of the powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of inter-State Transmission Charges and Losses) Regulations, 2010 (hereinafter referred to as “the Principal Regulations”), namely :—

1. Short title and commencement: (1) These regulations shall be called the Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of inter-State Transmission Charges and Losses)(First Amendment) Regulations, 2011.

(2) These regulations shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. Amendment to Regulation 2 of Principal Regulations:(1) Sub-clause (c) of clause (1) of Regulation 2 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“(c) ‘**Approved Injection**’ means the injection in MW validated by Implementing Agency (IA) for the Designated ISTS Customer for each representative block of months, peak and other than peak scenarios at the ex-bus of the generator or any other injection point of the Designated ISTS Customer into the ISTS, and determined on the basis of generation data submitted by the Designated ISTS Customers incorporating total injection into the grid, considering the Long-term Access and Medium-term Open Access;”

(2) Sub-clause (f) of clause (1) of Regulation 2 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“(f) ‘**Approved Withdrawal**’ means the simultaneous withdrawal in MW validated by Implementing Agency for any Designated ISTS Customer in a control area aggregated from all nodes of ISTS to which Designated ISTS Customer is connected for each representative block of months, peak and other than peak scenarios, at the interface point with ISTS, and where the Approved Withdrawal shall be determined based on the demand data submitted by the Designated ISTS Customers considering Long-term Access and Medium-term Open Access;”

(3) The following provisos shall be added under sub-clause (l) of clause (1) Regulation 2 of the Principal Regulations as under:

“Provided that where the ISTS charges were being billed to the distribution companies or any designated agency in the State for purchasing power before implementation of these regulations, the distribution companies or the designated agency, as the case may be, shall be treated as Designated ISTS Customer in that State for the purpose of preparation of Regional Transmission Account (RTA) by Regional Power Committees and for the purpose of billing and collection by the CTU:

“Provided further that after implementation of these regulations, the States may designate any agency as Designated ISTS Customer for the above purpose.”

(4) The definition of 'target region' after sub-clause (t) of Regulation 2 of the Principal Regulations shall be inserted as under:

“(t) 'Target Region' means the region to which a generator proposes to sell power after obtaining Long-term Access from the CTU and for which beneficiaries in the said region have not been identified.”

(5) Sub-clause (y) of clause (1) of Regulation 2 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“(y) ‘**Yearly Transmission Charge (YTC)**’ means the Annual Transmission Charges for the existing and new transmission assets of the transmission licensees and deemed ISTS

Licenses including non-ISTS lines certified by Regional Power Committees for carrying inter-State power, determined by the Appropriate Commission under section 62 of the Act or adopted by the Appropriate Commission under section 63 of the Act or as otherwise provided in these Regulations”.

3. Amendment of Regulation 3 of Principal Regulations.—Clause (b) of Regulation 3 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"(b) State Electricity Boards/State Transmission Utilities connected with ISTS or designated agency in the State (on behalf of distribution companies, generators and other bulk customers connected to the transmission system owned by the SEB/STU/intra-State transmission licensee);"

4. Amendment to Regulation 7 of Principal Regulations.—(1) Sub-clause (l) of clause (1) of Regulation 7 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“(l) Overall charges to be shared among the nodes shall be computed based on the Yearly Transmission Charges apportioned to each of the lines of the ISTS Licensees. The Yearly Transmission Charges, computed for the assets for each voltage level and conductor configuration shall be provided by the respective ISTS transmission licensees. The ISTS Licensees, deemed ISTS Licensees and owners of the non-ISTS Lines certified by the Regional Power Committees shall give the total Yearly Transmission Charges of their transmission assets, whose charges are to be recovered through the PoC mechanism in the application period along with circuit kilometers at each voltage level and for each conductor configuration. The total Yearly Transmission Charges shall be apportioned for each voltage level and conductor configuration based on the ratio of the indicative cost levels furnished by CTU at the beginning of each year or application period and approved by the Commission:

Provided that the YTC shall be revised on a six monthly basis i.e. on 1stApril and 1stOctober in the first full year and subsequently on quarterly basis, i.e. on 1stApril, 1stJuly, 1stOctober and 1stDecember. ”

(2) Sub-clause (m) of clause (1) of Regulation 7 of the Principal Regulations shall be deleted.

(3) The following proviso shall be added under sub-clause (o) of clause (1) of Regulation 7 of the Principal Regulations:

"Provided that a single scenario based on average generation and demand data published by the Central Electricity Authority shall be considered for determination of POC charges for the year 2011-12 or for such further period as the Commission may decide based on the availability of node-wise forecast data for different scenarios from the DICs."

5. **Amendment to Regulation 11 of Principal Regulations.-** (1) The para below the computation formulae in clause (4) of Regulation 11 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"This first part of the bill shall be raised based on the Point of Connection charges, Approved Withdrawal and Approved Injection for each Designated ISTS Customer, provided by the Implementing Agency on the next working day of uploading of the Regional Transmission Accounts by the respective Regional Power Committees on their websites in each month for the previous month and determined prior to the commencement of the application period:

Provided that the list of transmission assets along with the approved transmission charges for which billing has been done shall be enclosed with the first part of the bill:

Provided further that the charges for the quantum of long term access to a target region without identified beneficiaries shall comprise the Injection POC charges and lowest of the Demand POC charges among all the DICs in the target region."

(2) The para below the computation formulae in clause (5) of Regulation 11 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"The second part of the bill shall be raised on the designated ISTS Customers alongwith the first part of the bill:

Provided that the revenue collected from the approved additional Medium-term Open Access customers in the synchronously connected grid, which has not been considered in the Approved Injection/Approved Withdrawal, shall be reimbursed to the DICs located in the same synchronously connected grid having Long-term Access in the following month, in proportion to the monthly billing of the respective month:

Provided further that the Injection POC charges and Demand POC charges for Medium-term Open Access to the target region for which Long-term Access has been granted to the generator shall be adjusted against Injection POC charges and Demand POC charges for the Long-term Access to the target region without identified beneficiaries and not against Long-term Access granted to any other target region without identified beneficiaries:

Provided also that the injection POC charge for Medium-term open access given to a generator to any region shall be offset against the injection POC charge for LTA granted to the generator to the target region:

Provided also that a generator who has been granted Long-term Access to a target region without identified beneficiaries, shall be required to pay PoC injection charge plus the lowest of the PoC demand charge among all the DICs in the target region for the remaining quantum after offsetting the quantum of Medium-term Open Access subject to the last proviso of clause (4) of Regulation 11:

Provided also that this adjustment shall not be allowed for collective transactions and bilateral transactions carried out by the trading licensees who have a portfolio of generators in a State for which LTA was obtained to a target region.”

(3) The last para under Clause (7) of Regulation 11 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“This bill shall be raised by the CTU within 3 (three) working days of the issuance of the Regional Transmission Deviation Account by the RPCs:

Provided that the agency of the State responsible for the intimation of deviation on account of Unscheduled Interchange energy shall be the agency responsible for the intimation of deviation on account of the transmission usage to the respective RPCs, for inclusion of the same in their Regional Transmission Deviation Account (RTDA):

Provided further that the revenue collected against the Bill for Deviation from DICs in the synchronously connected grid shall be reimbursed to the DICs in the same synchronously connected grid having Long-term Access, in the following month, in proportion to the monthly billing of the respective month."

- (4) Clause (8) of Regulation 11 of the Principal Regulations shall be deleted.
- (5) The following provisos shall be added to Clause (9) of Regulation 11 of the Principal Regulations:

"Provided that the Injection POC charges and Demand POC charges for Short-term Open Access to the target region for which Long-term Access has been granted to the generator, shall be adjusted against the Injection POC charges and Demand POC charges for the Long-term Access to the target region without identified beneficiaries and not against Long-term Access to any other target region without identified beneficiaries:

Provided further that the injection POC charge for Short-term open access given to a generator to any region shall be offset against the injection POC charge for LTA granted to the generator to the target region:

Provided also that a generator who has been granted Long-term Access to a target region without identified beneficiaries, shall be required to pay PoC injection charge plus the lowest of the PoC demand charge among all the DICs in the target region for the remaining quantum after offsetting the quantum of Medium-term Open Access and Short-term open access:

Provided also that this adjustment shall not be allowed for collective transactions and bilateral transactions carried out by the trading licensees who have a portfolio of generators in a State for which LTA was obtained to a target region.”

6. Amendment to the Annexure of the principal regulations:

(1) Last sub-para under Para 2.1.2 (g) of the Annexure of the Principal Regulations under the head “Network Data” shall be substituted as under:

“(g) Overall charges to be allocated among nodes shall be computed by adopting the YTC of transmission assets of the ISTS licensees, deemed ISTS licensees and owners of the non-ISTS lines which have been certified by the respective Regional Power Committees (RPC) for carrying inter-State power. The Yearly Transmission Charge, computed for assets at each voltage level and conductor configuration in accordance with the provisions of these regulations shall be calculated for each ISTS transmission licensee based on indicative cost level provided by the Central Transmission Utility for different voltage levels and conductor configuration. The YTC for the RPC certified non-ISTS lines which carry inter-State power shall be approved by the Appropriate Commission.

In case the tariff for the RPC certified non-ISTS lines have not been specified by the Appropriate Commission, the average YTC as computed for the relevant voltage level and conductor configuration shall be used.

The non-ISTS lines certified by the RPCs as on 15.06.2010 shall continue to be treated as RPC certified non-ISTS lines carrying inter-State power. The YTC of such RPC certified non-ISTS lines shall remain the same and be governed by the same principle as it existed as on 15.6.2010.

For certifying non-ISTS lines for carrying inter-State power, which were not approved by the RPCs on the date of notification of the Principal Regulations, this shall be determined through the process of load flow studies. The results of the load flow studies, on an annual average basis, should show these lines carrying more than 50% of the total power carried by it to be inter-State power. This shall be vetted by the NLDC

in consultation with the respective RLDC on the proposal made by the respective RPC, through a common methodology to be adopted by the NLDC. The YTC for such RPC certified non-ISTS lines which carry inter-State power, shall be approved by the Appropriate Commission.

The recovery of the YTC of the transmission assets expected to be commissioned in the Application Period shall be incorporated by the Implementing Agency on the basis of the approved tariff including provisionally approved tariff:

Provided that the disbursement to the owners of new RPC certified non-ISTS lines shall be done after the tariff is approved by the Appropriate Commission.”

- (2) The following shall be added after the first paragraph in Step 4 of clause (2) under Para 2.7 of Annexure of the Principal Regulations:

“The charges of the HVDC back to back inter-regional links at Chandrapur and Gazuwaka shall be included in the YTC of the NEW grid and the SR grid in the ratio of 1:1 and charges for Talcher–Kolar HVDC bi-pole link shall be shared by DICs of SR only.”

RAJIV BANSAL, Secy.

[ADVT. III/4/150/11-Exty.]

Note : The Principal Regulations were published on 16th June 2010 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, at Ser No. 162.